

10/2026 प्रधान vs सोवरलाल

10/4/26

पत्रावली वेरा डूर्फ | वरील उभयपक्षकारान उप.  
मूल वाड CPC वर 7 निमम 11 (जी) स्पष्टित  
व्यारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत  
स्पीकट कट खारिज किया गया हुआ है। अतः  
प्रार्थना क्र 212 का कोई औचित्य नहीं रह जाता।  
प्रार्थना पत्र 212 खारिज कट दे लिये उमाट नमा  
रुम किया जाता है।

UP  
उपखण्ड अधिकारी  
भगई (अजमेरा)